तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
29.01.2026	**स्टेट बनाम जमना देवी आदि** प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पत्रावली पेश हुई। वकुलायन फरीकेन उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 श्रीमती जमना देवी स्वयं उपस्थित। 1. प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 श्रीमती जमना देवी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया गया जिसमें वर्णित कथन इस प्रकार है कि उक्त अनवान शीर्षक दावा/अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष वाके रोही ग्राम उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नम्बर 1238, 1239 तादादी 3.7200 हैक्टेयर कृषि भूमि के बाबत अन्तर्गत धारा 175 व 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर के स्टेट बनाम जमना देवी आदि के पेश की जाकर उपरोक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कृषि से अकृषि मानते हुए रकबा राज किये जाने की इस्तदुआ की गई है और माननीय न्यायालय हाजा द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी करते हुए मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश फरमाये गये है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के कारण प्रार्थीया कृषि भूमि के सम्बन्ध में भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर रही है तथा ना ही केसीसी ऋण सुविधा प्राप्त कर पा रही है ना ही उक्त कृषि भूमि का भूरूपान्तरण कृषि से अकृषि उपयोग हेतु करवा पा रहा है जिसके कारण प्रार्थीया को अकारण ही क्षति कारित हो रही है। जो कि कतई न्यायोचित व न्यायसंगत नही है। न्यायहित व लोकहित में उपरोक्त कार्यवाही ड्राप की जानी नितांत ही आवश्यक एवं न्यायसंगत है ताकि प्रार्थीया अपनी उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में तमाम लाभपरिलाभ आदि प्राप्त कर सके एवं अपनी उपरोक्त कृषि भूमि का भूरूपान्तरण कृषि से	

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

अकृषि उपयोग हेतु सम्बन्धित कार्यालय में कार्यवाही संस्थित कर सके। प्रार्थीया द्वारा अपनी उपरोक्त कृषि भूमि का भूरूपान्तरण कृषि से अकृषि उपयोग में करवाये जाने बाबत सम्बन्धित कार्यालय में कार्यवाही संस्थित किये जाने पर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा करवाई जावेगी जिससे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी तथा प्रार्थीया की कृषि भमि की प्रकृति कृषि से अकृषि में उपयोग किये जाने के आदेश सम्बन्धित कार्यालय से जारी होने से प्रार्थीया के साथ भी न्याय होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से सादर निवेदन है कि उपरोक्त अनवान शीर्षक दावा/अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली को न्यायहित व लोकहित में निरस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा यह कथन किया गया कि वर्तमान में वादगत भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। प्रार्थीया अब उक्त रकबे को संपरिवतर्तित करवाने हेतु सक्षम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर अतिशीघ्र रूप से प्रश्नगत भूमि की किस्म परिवर्तन करवा लेगी। प्रश्नगत भूमि के किस्म परिवर्तन संबंधी कार्यवाही, उक्त प्रकरण के लंबित रहते होना संभव नहीं है। प्रार्थीया उक्त पत्रावली को सशर्त भूमि किस्म परिवर्तन करवाने के आधार पर पत्रावली का निस्तारण करवाना चाहती है तथा साथ ही प्रार्थीया द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थीया द्वारा कानून की कोई अवज्ञा नहीं की गयी है तथा प्रार्थीया अपनी भूमि को संपरिवर्तित करवाने के लिए तत्पर, इच्छुक व प्रयासरत है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वाद/प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जावे ताकि प्रार्थीया अपनी भूमि संपरिवर्तन करवा सके।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण न्यायालय में राज्य पक्ष स्टेट की ओर से जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 जमना देवी के विरुद्ध वादगत भूमि ग्राम उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नम्बर 1238, 1239 तादादी 3.7200 हैक्टेयर पर बिना भू–रूपांतरण कृषि से अकृषि (90 ए) करवाए बिना मौके पर आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने बाबत दिनांक 06.01.2023 को प्रस्तुत

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

किया गया था। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है तथा वर्तमान में अब प्रार्थीया प्रश्नगत भूमि को संपरितर्वतन करवाकर अकृषि कार्य में उपयोग करना चाहती है जब तक प्रकरण में 177 आरटीए के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक सपंरिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। धारा 177 का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपितु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाए एवं राजस्व जमा करवाए कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जा सकता है तथा प्रकरण में 175–177 आरटीए की कार्यवाही विचाराधीन रहते सपंरिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 175–177 आरटीए इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि वादगत भूमि पर तहसीलदार (राजस्व) द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित स्थगन नोट हटाए जाने के उपरांत प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 01, 90 दिवस के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तित की कार्यवाही प्रारंभ कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे अन्यथा इस अवधि पश्चात तहसीलदार पुनः इस प्रार्थना पत्र/दावे को रेस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर/स्टेट को आदेशित किया जाता है कि निर्णयानुसार तीन माह पश्चात यदि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी के भूमि रूपांतरण व भूमि रूपांतरण संबंधी कार्यवाही प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में पुनः वाद को रेस्टोर करवा कर आगामी कार्यवाही करे।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 175–177 आरटीए खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर को प्रेषित की जावे। निर्णय आज दिनांक 29.01.26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शहर (बीकानेर)